# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

(पीठासीन अधिकारीः जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

**बनाम**

अप्रार्थीगण / अभियुक्तगणः–

1. यश बंसल पुत्र श्री नंद किशोर बंसल, खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक
   फर्मः–मैसर्स निधि मार्केटिंग, श्रीजी कॉम्पलेक्स, कपड़ा बाजार के पास, कुचामन सिटी।
   निवासीः– भोपजी वालों की गली, पुरानी धानमंडी, कुचामन सिटी।

जीसीएमएस न.– 2023 / 122 प्रकरण संख्या :–21 / 2023

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 "

उपस्थितः–

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल

## –:निर्णय :–

दिनांक :– 30.04.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03..2023 को समय 02:00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स यश ट्रेडर्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स, कपड़ा बाजार के पास, कुचामन सिटी पर पॅहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्री यश बंसल पुत्र श्री नंद किशोर बंसल खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्यकारो[illegible]ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के आधार कार्ड आगामी खरीद बिल की स्व[illegible]ारा प्रमाणित छाया प्रतिया पेश कि, जो न्याय निर्णयन आवेद[illegible] साथ संलग्न [illegible]

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] खाद्यकारोबारकर्ता [illegible]हों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जह[illegible]र घी (रामसन्स ब्रा[illegible] प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

1–1 लीटर के, आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। जिनमें मित्याछाप एंव गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर 4 सील्ड पैक घी (रामसन्स ब्राण्ड) प्रत्येक 1–1 लीटर खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक श्री यश बंसल को सूचित करते हुए वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत खाद्यकारोबारकर्ता के बताए अनुसार रू. 2000/–नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक यश बंसल के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह घी (रामसन्स ब्राण्ड) का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार अलग–अलग लेबल तैयार कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q-2213 लिखा एवं अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना जारों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2213 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। कारोबारकर्ता ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एंव मालिक यश बंसल एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर स्वीकार कर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(3) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/265 दिनांक 24.04.2023 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/351/Act/2023/380 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना घी (सागरान्स ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड है। जांच रिपोर्ट संलग्न मूल आवेदन है।

(4) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ घी (सागरान्स ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत Misbrand होना पाया गया है जो धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन है एंव उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(5) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 28.12.2023 एंव 07.03.2024 को अभियुक्त उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा, जो दिया गया। पर्याप्त समय देने के बाद भी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियुक्त के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

(6) प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं प[illegible]था पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एंव प्रस्तुत जवा[illegible]पूर्वक [illegible] एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालि[illegible] FORM B रिपोर्ट नं LS/351/Act/2023/380 दिनांक 31.03.2023 को अ[illegible]कन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 18:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

Opinion- The sample of Ghee (Ramsans brand) bearing Code no. and Sr. no. Q-2213 of Designated Offier cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded Under Section 3 (1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), 52 एंव 3 (1) (zf) (C) (i) इस प्रकार है:—

**धारा 26:— खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:—**

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:—

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

**धारा 52**

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

**धारा — 3**

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(zf) ''मिथ्याछाप वाला खाद्य'' से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है—

(C) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलो[illegible] यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि[illegible]कि / FSSA / जा. रि / 2023 / 265 दिनांक 24.0[illegible] को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु [illegible] अपील आवेदन प्रस्तुत नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

किया। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2213 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत Misbrand (होना पाया गया है, जो की खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2020 के अध्याय 2 के Regulations No. 5(3)(b)(ii)(D) (Percentage contribution of RDA and quantity of sodium is not mention on label of sample) का उल्लंघन है जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ के विक्रय करने पर अभियुक्त यश बंसल पुत्र श्री नंद किशोर बंसल मैसर्स यश ट्रेडर्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स, कपड़ा बाजार के पास, कुचामन सिटी दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अभियुक्त यश बंसल पुत्र श्री नंद किशोर बंसल निवासी भोपजी वालों की गली, पुरानी धानमंडी, कुचामन सिटी मैसर्स यश ट्रेडर्स, श्रीजी कॉम्पलेक्स, कपड़ा बाजार के पास, कुचामन सिटी पर जुर्माना राशि रुपये 20,000/–(अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 30.04.2024 को [illegible] करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:13:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

(जगदीश प्रसाद गौड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी